मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
- - -
ज्ञापन

क्रमांक 293 /327/एक(3)/ भोपाल, तारीख 2 जून, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- स्थानांतर आदेशों के पालन के बारे में शासन के निर्देश ।

=*=

यह बताना आवश्यक नहीं है कि शासन के व्दारा दिये गये सभी आदेशों का पालन तत्परतापूर्वक किया जाना चाहिए । समय समय पर आप लोगों का ध्यान शासन के आदेशों को तत्परतापूर्वक पालन किये जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है ।

2/ इसके बावजूद इधर कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि शासन के स्थानांतर आदेशों के प्रति शासकीय सेवक अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाते । कुछ ऐसे दृष्टान्त भी सामने आये है जिनमें स्थानांतर आदेश प्राप्त होने के बाद शासकीय सेवक ने न केवल एक लम्बी अवधि तक उसका पालन नहीं किया, वरन् कतिपय स्रोतों से यह भी कोशिश की कि उसका स्थानांतर निरस्त कर दिया जावे ।

3/ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह प्रवृत्ति अवांछनीय है। ऐसा भी पाया गया है कि नियंत्रण अधिकारी भी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते । नियंत्रण अधिकारियों का तो कर्तव्य यह होना चाहिए कि जैसे ही शासन के आदेश प्राप्त हों वैसे ही वे सम्बन्धित शासकीय सेवक को तुरन्त कार्यमुक्त करें और शासन को उसका पालन प्रतिवेदन भेजें ।

4/ शासकीय सेवकों और नियंत्रण अधिकारियों में शासन के आदेशों के प्रति तत्परता का अभाव एक चिन्ता और क्षोभ का विषय है । अतः पुनः एक बार यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में स्थानांतर आदेशों का पालन

=2=

तत्परतापूर्वक किया जाये । यहा यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि यदि भविष्य मे कोई ऐसे मामले शासन के ध्यान मे लाये गये जिनमे स्थानातरित शासकीय सेवक और नियंत्रण अधिकारी, दोनो मे से किसी ने भी शासन के आदेशो के प्रति तत्परता नही दिखाई तो इस तत्परता-हीनता को घोर दुराचरण माना जायेगा और सम्बन्धित शासकीय सेवक के विरूद्य प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी । इस परिपत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने का कष्ट करें ।

(रमाप्रसन्न नायक)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

क्रमाक 294 /327/एक(3) भोपाल, तारीख 2 जून, 1971

प्रतिलिपि :-

1- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल
सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल

3- स्थापना अधिकारी, लेखा अधिकारी, पंजीयक,
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

4- मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / राज्य मंत्रिगण / उप मंत्रिगण के निजी सचिव/
निजी सहायक/ संसदीय सचिव के निज सहायक,

को सूचना के लिए भेजी जाती है ।

(ओमप्रकाश मेहता)
उप सचिव

: : श्रीवास: :
31/5/71